राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	लक्ष्मी यादव बनाम सिद्धी विनायक 936/2024 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/10/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 06/11/2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
06/11/25	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 13/09/2013 पारित करते हुये तहसीलदार आमेर से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये, जिसकी पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 08/08/2024 पारित की गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 08/08/2024 से व्यथित होकर अपीलार्थीयां द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13/09/2013 प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गयी। दिनांक 06/01/2024 को तहसीलदार आमेर द्वारा केवल मात्र रेस्पो. संख्या 1 को सूचित कर ही एवं अपीलार्थी को सूचित किये बिना ही मनमाने रूप से कुर्रेजात तैयार कर तहसीलदार आमेर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 14/36 के माध्यम से सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्र त्रुटीपूर्ण कुर्रेजात प्रेषित करते हुये मार्गदर्शन चाहा गया कि खसरा नम्बर 979 की अधिकाश भूमि एन एच 3 में शामिल हो गयी है जिसका अंकन राजस्व अभिलेख में नही है। जिसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के विपरीत जाकर विवेचन करते हुये एवं अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नही कर एकपक्षीय अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08/08/2024 पारित कर दिया। तहसीलदार आमेर द्वारा प्रेषित कुर्रेजात रिपोर्ट में अपीलार्थी को मुख्य रोड के हिस्से पर कम चौड़ाई को कम चौड़ाई का क्षेत्रफल प्रदत्त किया गया तथा रेस्पो. को अधिक चौड़ा क्षेत्रफल प्रदत्त किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया बंटवारा विभाजन के लिये बने नियम 18 से 21 की समुचित पालना किये बगैर ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में त्रुटी कारित की गयी है। अत: अपील स्वीकार फरमाई जावे। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	लक्ष्मी यादव बनाम सिद्धी विनायक हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 06/05/2009 को दावा प्रस्तुत किया गया | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर दिनांक 13/09/2013 को दोनों पक्षों द्वारा बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर विभाजन की सहमति दी गयी | तहसीलदार द्वारा प्रेषित 06/01/2014 का पत्र अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में कही अंकित नही है | NH की भूमि में 11 एयर भूमि के चले जाने का मुआवजा दोनों पक्षों द्वारा उठा लिया गया एवं पास की भूमि अपीलार्थी की थी, जिस कारण ही उक्तानुसार फ्रन्ट दिया गया | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की आपत्ति की सुनवाई कर विधिक निस्तारण करते हुये अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित किये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी नही है | अत: अपील अपीलार्थी ख़ारिज फरमायी जावे |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय तहसील से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से अपीलार्थी की यह आपत्ति उचित प्रतीत होती है कि तहसीलदार द्वारा केवल मात्र रेस्पो. संख्या 1 को सूचित कर उनकी ही उपस्थिति मात्र में कुर्रेजात तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किये गये है एवं इस तथ्य की पुष्टी तहसीलदार आमेर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित कुर्रेजात रिपोर्ट के साथ सलग्न रेस्पो. संख्या 1 को जारी केवल मात्र एक नोटिस से होती है | अत: ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. संख्या 1 की एकपक्षीय सुनवाई कर ऐसी त्रुटीपूर्ण कुर्रेजात के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये जाने में क़ानूनी त्रुटी किया जाना जाहिर होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 08/08/2024 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनों पक्षों की उपस्थिति में तहसीलदार आमेर से कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार करवाया जाना सुनिश्चित कर, बाद प्राप्ति कुर्रेजात रिपोर्ट पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर, प्राप्त आपत्तियो का विवेचनात्मक निस्तारण करते हुये विधिसम्मत अन्तिम निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 06/11/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर